न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 164/2019

ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
स्टेशन रोड,– अजमेर (राज.)।
जरिये प्राधिकृत अधिकारी ……………**प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

(1) श्री पीयुष कुमार पुत्र श्री अर्जुन कुमार,
पताः– फ्लेट नं0 301, दुसरी मजींल, 7 अशोक मार्ग, अनासागर लिंक रोड, अजमेर 305001(राज.)।

(2) श्रीमती रीया बारोतिया पुत्री श्री बद्री सिंह,
पताः– फ्लेट नं0 301, दुसरी मजींल, 7 अशोक मार्ग, अनासागर लिंक रोड, अजमेर 305001(राज.)। ………**अप्रार्थीगण / ऋणी**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री मनोज कुमार ओरिया अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश **दिनांक 21.10.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्यं इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री पीयुष कुमार पुत्र श्री अजुर्न कुमार व श्रीमती रीया बारोतिया पुत्री श्री बद्री सिंह, निवासी–फ्लेट नं0 301, दुसरी मजींल, 7 अशोक मार्ग, अनासागर लिंक रोड, जिला अजमेर–305001 को दिनांक 28.04.2017 व 29.09.2017 को रू 7,00,000/–(अक्षरे सात लाख रूपये मात्र) व रू 1,73,500/–(अक्षरे एक लाख तेहत्तर हजार पांच सौ रूपये मात्र) कुल ऋण रू 8,73,500/–(अक्षरे आठ लाख तेहत्तर हजार पांच सौ रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर Hyundai Creta 1.4 Crdi E + Car Make 2017, Diesal Model Registration No. RJ-01CE-1155, Chassis No.- MALC181RLHM246067, Engine No.- D4FCHM323869 And Royal Enfield Classic 500-Desert Storm BS-IV Bike 2017, Model Registration N0. RJ-01-MS-0111, Chassis N0. ME3U5S5F1HK117716 Engine No.- U5S5F1HK006503 को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 01.05.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 06.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 5,27,583.22/–(अक्षरे रूपये पांच लाख सत्ताईस हजार पांच सौ तिरासी एवं पैसे बाईस मात्र) व रूपये 1,55,646.23/–(अक्षरे रूपये एक लाख पचपन हजार छः सौ छियालिस एवं पैसे तेईस मात्र) कुल ऋण 683,229.45/–(अक्षरे रूपये छः लाख तैयासी हजार दो सौ उन्तीस एवं पैंतालीस पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक अचल सम्पति Hyundai Creta 1.4 Crdi E + Car Make 2017, Diesal Model Registration No. RJ-01CE-1155, Chassis No.- MALC181RLHM246067, Engine No.- D4FCHM323869 And Royal Enfield Classic 500-Desert Storm BS-IV Bike 2017, Model Registration N0. RJ-01-MS-0111, Chassis N0. ME3U5S5F1HK117716 Engine No.- U5S5F1HK006503, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwa Mohan Sharma
Date: 2019.11.13 15:27:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: